न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :— 20 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 135

अनवान

1. हाजा पुत्र डामरा।
2. ईश्वरलाल पुत्र लखमणा।
3. खेमराज पुत्र लखमणा।
4. महेन्द्रकुमार पुत्र लखमणा।
5. तुलसाराम पुत्र लालाराम।
6. भगाराम पुत्र लालाराम।
7. नाबालिंग देवेन्द्र पटेल पुत्र अम्बाराम सरंक्षक दादी धरमीदेवी पत्नि लालाराम।
8. करमोदेवी पत्नि खेमराज।
9. तुलसीदेवी पत्नि प्रेमाराम।
10. नानुदेवी पत्नि नरसीराम।
11. वेलाराम पुत्र भावाराम।
12. सावलाराम पुत्र भावाराम।
13. चेला पुत्र करमसी।
14. दुर्गादेवी पत्नि करमसी।
15. वजा पुत्र करमसी।
16. धनाराम पुत्र मानाराम, जातियान—कलबी, निवासीगण—जाजूसण, तहसील—सांचोर जि—जालोर

प्रार्थीगण.....

1. तलसाराम पुत्र जवा।
2. प्रेमाराम पुत्र जवा।
3. आम्बाराम पुत्र पांचा।
4. कमलेश पुत्र पांचा।
5. गणेश पुत्र पांचा।
6. देवुदेवी पत्नि पांचा।
7. रुगनाथाराम पुत्र पांचा।
8. हेमराज पुत्र पांचा।
9. काना पुत्र तेजा।
10. तेजा पुत्र रूपा (फौत) के कायम मुकामः—
    अ. काना पुत्र तेजा।
    ब. कानू पुत्री तेजा।
11. तुलसाराम पुत्र हाजा।
12. दुरगादेवी पत्नि हाजा।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

13. नरेश कुमार पुत्र हाजा।
14. रामेश्वरराम पुत्र हाजा, जाति–कलबी, निवासी–जाजूसण, तहसील–सांचोर, जिला–जालोर।
15. शाखा प्रबन्धक, जालोर सहकार भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा जालोर।
16. शाखा प्रबन्धक, यूकों बैंक शाखा सांचोर, जिला–जालोर।
17. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैक शाखा सांचोर, जालोर।
18. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सांचौर, जालोर।
19. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचोर, जिला–जालोर

अप्रार्थीगण.....

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 08.07.2025

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम वैष्णव उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1,5,6,7,11,12 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाडूराम पंचाल उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 3,4,8 से 10ब व 13 से 18 एकपक्षीय।
5. अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–27.03.2026

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम सांचोर, पटवार हल्का सांचोर में खाता संख्या 405, 406, 192 व 411 के विभिन्न खसरा नम्बर (2547, 2548, 2549, 2553, 2554, 2555, 2528, 2529, 2530, 2531, 2523, 2526, 2527 आदि) में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियाँ भी बनी हुई हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त में है। इन खेतों में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता ग्राम जाजूसण में भारतमाला सड़क परियोजना के खसरा नम्बर 599/238 पर बने पुलिया से होकर खसरा नम्बर 601/238 (गैर मुमकिन रास्ता) तथा आगे अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 228, 223, 220 व 219 से होकर गुजरता है, जो वर्तमान में उपयोग में है। दोनों पक्षों के खेत सांचोर व जाजूसण की सरहद पर स्थित होने से यही एकमात्र आवागमन का मार्ग है। विवाद की स्थिति में उक्त रास्ता अक्सर बंद कर दिया जाता है, जिससे प्रार्थीगण को खेतों में आवागमन, काश्त, बच्चों की शिक्षा, दैनिक उपयोग व रोजगार संबंधी कार्यों में भारी कठिनाई होती है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि में से कुल 0.1468 हेक्टेयर क्षेत्र में 4 मीटर चौड़ा रास्ता निकटतम व सुविधाजनक मार्ग के रूप में अत्यंत आवश्यक है, जो संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि धारा 251(ए) काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाए तथा अप्रार्थीगण को रास्ते में किसी प्रकार की

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

बाधा या निर्माण करने से रोका जाए। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने को तैयार हैं।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाडूराम पंचाल उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3,4,8 से 10ब व 13 से 18 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से अधिवक्ता श्री लाडूराम पंचाल द्वारा काउण्टर क्लेम जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– अवतरण 01 के जवाब में यह है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा जाजूसण, पटवार हल्का हाडेतर में खाता संख्या 81, 117, 62 व 126 के विभिन्न खसरा नम्बर में स्थित है, जिनमें उनकी रहवासी ढाणियाँ भी बनी हुई हैं और भूमि उनके कब्जे में है। अवतरण 02 व 03 के जवाब में यह है कि प्रार्थीगण के खेतों में आने–जाने हेतु भारतमाला पुलिया (खसरा 599/238) से खसरा 601/238 (रास्ता) होकर अप्रार्थीगण की भूमी मौजा जाजूसन पटवार हल्का हाड़ेतर के खसरा 228, 223, 220 व 219 से होकर आवागमन होता है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण भी प्रार्थीगण के खेतों से होकर रास्ते का उपयोग करते हैं। दोनों पक्षों के लिए यही एकमात्र रास्ता है और विवाद होने पर कभी–कभी उपयोग बाधित हो जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने का आरोप गलत है। अवतरण 04 के जवाब में यह है कि दोनों पक्षों को एक–दूसरे के खेतों से होकर आवागमन में समान समस्या आती है। प्रार्थीगण जहाँ अप्रार्थीगण की भूमि से 0.1470 हेक्टेयर में 4 मीटर चौड़े रास्ते की मांग कर रहे हैं, वहीं अप्रार्थीगण को भी प्रार्थीगण की भूमि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा नम्बर 2527 रकबा 1.18 हैक्टर मे से 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2526 रकबा 1.70 हेक्टर में से 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2531 रकबा 2.59 हैक्टर मे से 0.0139 हैक्टर, खसरा नम्बर 2549 रकबा 0.80 हैक्टर में से 0.0404 हैक्टर, खसरा नम्बर 2548 रकबा 1.09 हैक्टर मे से 0.0419 हैक्टर व खसरा नम्बर 2547 रकबा 5.04 हैक्टर में से 0.1340 हेक्टर कुल रकबा 0.3602 हैक्टर में से 4 मीटर चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। अतः दोनों के लिए परस्पर रास्ता आवश्यक व सुविधाजनक है। अवतरण 05 के जवाब में यह है कि अप्रार्थीगण के पास भी अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें भी प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहिए। दोनों पक्ष समान रूप से रास्ते के हकदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर देने की बात की गई है, अतः अप्रार्थीगण भी प्रतिकर देने को तैयार हैं, परंतु न्यायहित में आपसी रास्ता देने की शर्त पर प्रतिकर से छूट दी जाए। अतः निवेदन है कि जवाब मय काउंटर क्लेम स्वीकार कर दोनों पक्षों के लिए आवश्यक भूमि को "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए तथा किसी भी पक्ष को रास्ते में बाधा या निर्माण करने से रोका जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार द्वारा लिखित बहस पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मौजा जाजूसण से सांचौर स्थित अपने खेतों (खसरा नं. 2547, 2548, 2549, 2553, 2554, 2555, 2528, 2529, 2530, 2531,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला जालोर

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

2523, 2526, 2527) तक पहुँचने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नं. 228, 223, 220, 219 में से रास्ता मांगा गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग पर प्रार्थीगण लम्बे समय से निर्बाध रूप से आवागमन करते आ रहे हैं, जिसे उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है। अतः यह रास्ता पहले से ही उपलब्ध एवं उपयोग में होने से "अत्यावश्यकता" सिद्ध नहीं होती। नजदीकी के संबंध में भी यह स्पष्ट है कि वैकल्पिक रूप से खसरा नं. 527/240 व 529/240 से होकर अधिक निकट (लगभग 72 मीटर) रास्ता उपलब्ध है, जबकि प्रस्तावित मार्ग (खसरा 228) लगभग 84 मीटर लंबा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अधिक दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं है। सुविधाजनकता के आधार पर भी वर्तमान रास्ता पहले से ही बिना किसी बाधा के उपयोग में है, जिससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। अतः तीनों आवश्यक शर्तें (अत्यावश्यकता, नजदीकी एवं सुविधाजनकता) पूर्ण नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाना उचित है।

5. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम सांचोर में स्थित है, जहाँ उनकी रहवासी ढाणियाँ भी बनी हुई हैं। इन खेतों में आने–जाने का एकमात्र मार्ग ग्राम जाजूसण स्थित भारतमाला पुलिया (खसरा 599/238) से होकर खसरा 601/238 तथा आगे अप्रार्थीगण के खसरा 228, 223, 220 व 219 से गुजरता है, जो वर्षों से उपयोग में है। परंतु विवाद होने पर यह रास्ता बार–बार अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे प्रार्थीगण को काश्त, आवागमन, बच्चों की शिक्षा व दैनिक कार्यों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को 0.1468 हेक्टेयर भूमि में 4 मीटर चौड़ा रास्ता अत्यंत आवश्यक, निकटतम व सुविधाजनक है।

6. अप्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा जाजूसण में स्थित है, जहाँ उनकी रहवासी ढाणियाँ भी बनी हुई हैं। दोनों पक्षों के खेतों में आने–जाने हेतु भारतमाला पुलिया (खसरा 599/238) से होकर खसरा 601/238 व आगे खसरा 228, 223, 220 व 219 से होकर आवागमन होता है, जिसका उपयोग दोनों पक्ष करते हैं। रास्ता बंद करने का आरोप निराधार है। वास्तव में दोनों पक्षों को एक–दूसरे के खेतों से होकर आवागमन में समान कठिनाई है। जहाँ प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि में 0.1470 हेक्टेयर में रास्ता चाहते हैं, वहीं अप्रार्थीगण को भी प्रार्थीगण की भूमि में लगभग 0.3602 हेक्टेयर में 4 मीटर चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। दोनों पक्षों के पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अतः दोनों समान रूप से रास्ते के हकदार हैं और न्यायहित में परस्पर रास्ता दिया जाना उचित है। अप्रार्थीगण भी प्रतिकर देने को तैयार हैं, किन्तु आपसी रास्ता देने की शर्त पर प्रतिकर से छूट प्रदान की जाए। इसलिए निवेदन है कि जवाब मय काउंटर क्लेम स्वीकार कर दोनों पक्षों के लिए आवश्यक भूमि को "गैर मुमकिन रास्ता" दर्ज किया जाए तथा किसी भी पक्ष को रास्ते में बाधा या निर्माण करने से रोका जाए।

7. हमने बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

251'क' :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि:–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवष्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 2547 रकबा 5.04 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अ अनुसार एवं अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में नक्शा परिशिष्ठ ब व तहसीलदार सांचौर के पत्रांक/भू.अ./न्या.जांच/2025/3380 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नं 2547 में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खेत मौजा जाजुसन पटवार हल्का हाड़ेतर के खसरा संख्या 228, 223, 220 व 219 में से 04 मीटर चौड़ाई व अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में नक्शा परिशिष्ठ ब में वर्णित प्रार्थीगण के खेत मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा संख्या 2527, 2526, 2531, 2549, 2548, 2547 में से 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी के आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार व अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में नक्शा परिशिष्ठ ब अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा मौजा जाजुसन पटवार हल्का हाड़ेतर के खसरा संख्या 228, 223, 220 व 219 में से 04 मीटर चौड़ाई व अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में नक्शा परिशिष्ठ ब में वर्णित प्रार्थीगण के खेत मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा संख्या 2527, 2526, 2531, 2549, 2548, 2547 में से 04 मीटर चौड़ाई में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार व अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में नक्शा परिशिष्ठ ब अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । सरहद मौजा जाजुसन पटवार हल्का हाड़ेतर के खसरा संख्या 228, 223, 220 व 219 में से 04 मीटर चौड़ाई व अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,11,12 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में नक्शा परिशिष्ठ ब में वर्णित प्रार्थीगण के खेत मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा संख्या 2527, 2526, 2531, 2549, 2548, 2547 में से 04 मीटर चौड़ाइरखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर